न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर, सारण।

हकियत वाद सं0–324 सन् 2015
माधव गोस्वामी......................वादी।
बनाम
प्रवेश हजरा वगै0.......................प्रतिवादीगण।

दिनांकः–18.09.2024

प्रतिवादी की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांकः–27.07.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी मुकदमा हाजा में हाजिर होकर बयान तहरीर दाखिल कर चुके हैं। इसी दरम्यान प्रतिवादी पारिवारीक समस्या के कारण तथा मुकदमा सोनपुर में स्थानांतरण होने के कारण वादी की जानकारी नहीं हो सकी। प्रतिवादी दिनांक 22.01.2016 को वाद में उपस्थित हुए तथा दिनांक 14.07.2016 को इनका बयान तहरीर न्यायालय द्वारा ग्रहण किया गया। इसके बाद मुकदमा सोनपुर स्थानांतरित हो गया वो इसकी जानकारी प्रतिवादी को नहीं हो सकी। इसी बीच दिनांक 06.09.2017 को माधव गोस्वामी का साक्ष्य दिनांक 14.05.2018 को राम उग्रह सहनी का का वादी के द्वारा साक्ष्य कराया गया, जिसकी प्रति परीक्षण प्रतिवादी के द्वारा नहीं हुआ तथा साक्ष्य को मुक्त कर दिया गया। न्यायहित में माधव गोस्वामी वादी सं0 01 एवं राम उग्रह सहनी वादी सं0 02 का प्रति परीक्षण प्रतिवादी द्वारा न्यायहित में प्रतिपरीक्षण करना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादी के दोनों साक्षियों को प्रतिपरीक्षण हेतु रिकॉल करने की कृपा प्रदान की जाए।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 27.09.2022 को दाखिल कर प्रतिवादी के उपरोक्त आवेदन का विरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी वादी द्वारा दाखिल साक्षी माधव गोस्वामी तथा रामउग्रह सहनी का साक्ष्य प्रतिपरीक्षण हेतु रिकॉल कराने हेतु आवेदन दाखिल किया है। प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि पारिवारीक समस्या के कारण तथा मुकदमा सोनपुर में स्थानांतरण होने के कारण वादी की जानकारी नहीं हो सकी। इसके बाद मुकदमा सोनपुर स्थानांतरित हो गया वो इसकी जानकारी प्रतिवादी को नहीं हो सकी। इसी बीच दिनांक 06.09.2017 को माधव गोस्वामी का साक्ष्य दिनांक 14.05.2018 को राम उग्रह सहनी का साक्ष्य वादी के द्वारा कराया गया, जिसको रिकॉल करना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन हेतु वादी साक्षी सं0 01 माधव गोस्वामी तथा वादी साक्षी सं0 02 रामउग्रह सहनी का प्रतिवादी द्वारा प्रतिपरीक्षण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल साक्ष्य रिकॉल आवेदन दिनांक 27.07.2022 को 1000/–रूपये खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी खर्च की राशि वादी को प्रदान कर वाद में अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारंभ करें। वाद दिनांक कृ.................को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।